ई–पत्रावली संख्याः 93947

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2025–05(सा0)/12

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,
उत्तराखण्ड।

3. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः अक्टूबर, 2025

विषयः मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 5/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 तथा पशु जन्मनियंत्रण (ए.बी.सी.) नियम–2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एव आदेश दिनांक 11.08.2025 में उल्लिखित बिंदुओं के अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये हैं, जो कि मुख्यतः निम्नवत् हैः–

" **33.** We, therefore, feel that a holistic approach requires mollification of the directions issued *vide* order dated 11th August, 2025. Accordingly, the directions issued by the two-Judge bench of this Court are supplemented, modified, and clarified in the terms indicated below: -

a. Municipal authorities shall continue to comply with the directions contained in **paras 12(i)** and **12(ii)** of the subject order.

b. The directions contained in **paras 12(iii)** and **12(iv),** to the extent that they prohibit the release of the picked up strays, shall be kept in abeyance for the time being. The dogs that are picked up shall be sterilised, dewormed, vaccinated, and released back to the same area from which they were picked up.

It is, however, clarified that this relocation shall not apply to the dogs infected with rabies or suspected to be infected with rabies, and those that display aggressive behaviour. Such dogs shall be sterilised and immunised, but under no circumstances

should they be released back onto the streets. Furthermore, as far as possible, such stray dogs shall be kept in a separate pound/shelter after sterilisation and immunisation.

c. The directions contained in **para 12(v)** shall remain subject to the directions given by us in paras (a) and (b).

d. Municipal authorities shall forthwith commence an exercise for creating dedicated feeding spaces for the stray dogs in each municipal ward. The feeding areas shall be created/identified keeping in view the population and concentration of stray dogs in the particular municipal ward. Gantries/notice boards shall be placed near such designated feeding areas, mentioning that stray dogs shall only be fed in such areas. Under no condition shall the feeding of stray dogs on the streets be permitted. The persons found feeding the dogs on the streets in contravention of the above directions shall be liable to be proceeded against under the relevant legal framework.

The aforesaid directions are being issued in view of the reports regarding untoward incidents caused by unregulated feeding of stray dogs and to ensure that the practice of feeding dogs on roads and in public places is eliminated, as the said practice creates great difficulties for the common man walking on the streets.

e. Each municipal authority shall create a dedicated helpline number for reporting incidents of violation of the above directions. On such a report being received, appropriate measures shall be taken against the individuals/NGOs concerned.

f. The direction given in **para 13** of the order dated 11th August 2025, is reiterated with a slight modification that no individual or organisation shall cause any hindrance or obstruction in the effective implementation of the directions given above. In case any public servant acting in compliance with the aforesaid directions is obstructed, then the violator/s shall be liable to face prosecution for obstructing the public servant acting in discharge of official duty.

h. The desirous animal lover/s shall be free to move the application to the concerned municipal body for adoption of the street dogs, upon which the identified/selected street dog/s shall be tagged and given in adoption to the applicant. It shall be the responsibility of the applicant(s) to ensure that the adopted stray dogs do not return to the streets.

i. The municipal authorities shall file an affidavit of compliance with complete statistics of resources, viz., dog pounds, veterinarians, dog catching personnel, specially modified vehicles/cages available as on date for the purpose of compliance of the ABC Rules.

34. Since the application of the ABC Rules is uniform all over the country and the same issues which have been taken up in the Suo Moto Writ Petition have either cropped up or are likely to exist in every State, we propose to expand the scope of this matter beyond the confines of New Delhi and the NCR region.

35. For this purpose, we hereby direct the impleadment of all States and Union Territories in this matter through the Secretaries concerned of the Animal Husbandry Department, Secretaries of the local bodies (Municipal Corporation, Municipal Councils, Municipalities, etc.) and the Administrators of the Union Territories so as to seek information from each authority regarding the steps being taken for compliance of the ABC Rules in their respective jurisdictions.

36. We are also informed that numerous writ petitions/*suo moto* petitions are pending in various High Courts, more or less dealing with common issues. Hence, the Registry shall seek information about such pending writ petitions from the Registrar Generals of all the High Courts, and thereafter, these writ petitions shall stand transferred to this Court for analogous consideration along with the main matter. ”

2. उल्लेखनीय है कि उक्त सम्बन्ध में मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10.03.2023 द्वारा पशु जन्म नियंत्रण नियम–2023 प्रख्यापित की गयी है। उक्त पशु जन्म नियंत्रण नियम–2023 के नियम 20 (सामुदायिक पशुओं को खिलाना) में सम्यक् प्रावधान किये गये हैं।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया **मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2025** एवं उपर्युक्त नियम 20 में विहित प्रावधानों के अनुपालन सहित निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) प्रत्येक नगर वार्ड में निराश्रित श्वानों की संख्या एवं उनके क्षेत्रीय वितरण को ध्यान में रखते हुए समर्पित भोजन स्थलों का चयन एवं स्थापना जनसहभागिता से की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन स्थल पर्याप्त संख्या में हों, जिससे श्वान अपने क्षेत्र से बाहर न आएं। श्वान स्वभावतः क्षेत्रीय होते हैं और यदि उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर जाने के लिए विवश किया जाए तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि चयनित स्थल ऐसे न हो जहां बच्चो या वृध–जनों की अधिक आवाजाही होती है।

(2) श्वानों के लिए निर्धारित भोजन स्थलों के अलावा अन्य कहीं भोजन न दिया जाए। प्रत्येक भोजन स्थल पर स्पष्ट सूचना–पट्ट लगाए जाएं, जिन पर यह अंकित हो कि श्वानों को केवल इन्हीं स्थलों पर भोजन कराया जाएगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) नागरिकों को निर्धारित भोजन स्थलों की जानकारी देने एवं निराश्रित श्वान पशुओं को भोजन दिये जाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहित किये जाने हेतु जन–जागरूकता अभियान संचालित किए जाएं तथा सभी नगर निकायों द्वारा शिकायत निस्तारण के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर निर्गत किया जायेगा। समर्पित हैल्पलाईन नम्बर की व्यवस्था होने तक सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है तथा इसके सम्बन्ध में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार शिकायत का अनुश्रवण एवं निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) पशु–संरक्षक निराश्रित श्वानों को चयनित स्थल पर भोजन एवं जल उपलब्ध करा सकते है। भोजन कराने वाले व्यक्ति स्वच्छता बनाए रखें एवं अवशिष्ट खाद्य अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करें। पशु–संरक्षकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे निकाय द्वारा चालित पशु जन्म नियंत्रण (ए.बी.सी.) कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी एवं रैबीज–रोधी टीकाकरण में सहयोग प्रदान करेंगे।

(5) इच्छुक श्वान–प्रेमियों द्वारा निराश्रित श्वानों को गोद लिए जाने हेतु संबंधित नगर निकाय में आवेदन किया जाएगा। गोद लिए गए श्वानों को चिन्हित कर विधिवत अनुमति प्रदान की जाएगी। एक बार गोद लिए जाने के उपरांत उनका परित्याग नहीं किया जाएगा।

(6) रेबीज ग्रस्त एवं हिंसक प्रवृत्ति के श्वानों को ए.बी.सी./डॉग केयर सेंटर पर निगरानी में रखा जाएगा, तथा सामान्य प्रवृत्ति वाले श्वानों को बधियाकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण के पश्चात यथास्थान छोड़ा जाएगा।

(7) श्वानों को पकड़ने में किसी प्रकार की क्रूरता न की जाए, अपितु उन्हें मानवीय रूप से पकड़ने हेतु डॉग हैंडलरों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

(8) प्रत्येक निकाय से यह अपेक्षा की जाती है कि निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं, एन.जी.ओ., पशु–प्रेमियों का सहयोग लिया जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, जिससे जनमानस में श्वानों के व्यवहार एवं कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

(9) निकायों द्वारा श्वान पशुओं के बन्धाकरण एवं टीकाकरण का अभिलेखीकरण किया जायेगा तथा निराश्रित श्वानों के लिए वार्डवार चिन्हित भोजन स्थलों का भी रिकॉर्ड रखा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में एक अनुपालन आख्या भी तत्काल निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(10) ए.बी.सी. रूल–2023 का सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 28-10-2025
13:59:30

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

संख्या– /IV(2)–श0वि0–2025–05(सा0)/12(ई–93947), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 शहरी विकास/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी निदेशक, पशुकल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 28-10-2025
14:00:35

(प्रदीप कुमार शुक्ल),
उप सचिव।